



माननीय मंप्र० राजस्व विभाग व्यालियर मंप्र०

मॉडल

R. M' निगरानी २४३२-II/५ रिवीजन क्रमांक 2015

श्री आदि के बानी अधिकारी प्रदान करने वाले श्री इरण्ड खों पिता शरीफ खों पठान आयु 22 साल
जाति पठान धैंडा छेती निवासी संजीत तह. मल्हारगढ़
जिला मंदसौर मंप्र०

शोयब खों पिता शरीफ खों जाति पठान आयु 17 साल
नाबा लिंग द्वारा सर्परस्त भाई ईरण्ड खों पिता शरीफ खों
निवासी संजीत तह. मल्हारगढ़ जिला मंदसौर निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1. शहजाद उपिता फरीद खों पठान धैंडा छेती
निवासी संजीत तह. मल्हारगढ़ जिला मंदसौर
2. भुरे खों पिता श्री बरकत खों पठान धैंडा छेती
निवासी संजीत तह. मल्हारगढ़ जिला मंदसौर
3. फरीद खों पिता बरकत खों पठान धैंडा छेती
निवासी संजीत तह. मल्हारगढ़ जिला मंदसौर
4. सलीम खों पिता फरीद खों पठान धैंडा छेती
निवासी संजीत तह. मल्हारगढ़ जिला मंदसौर ,..... रेस्पाउटगढ़

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मंप्र० मू-राजस्व संहिता

1959

न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय,
मल्हारगढ़ जिला मंदसौर के द्वारा अपील क्रमांक 18/2013
-14 में पारित आदेश दिनांक 25-6-2015 से परिवेदित
होकर जोकि नायब तहसीलदार मल्हारगढ़ के द्वारा
ग्राम फोसरी की नामांतरण मंजी क्रमांक 01 वर्ष 2012-
2013 में पारित आदेश दिनांक 18-4-2013 से कुछी
होकर प्रस्तुत की गई थी ।

माननीय महोदय,

निगरानी अधिकारी के आधार

1. यहकि, योग्य अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय का आदेश
विट्ठि व प्रक्रिया के विपरित होने से स्थिर रहने योग्य नहीं है।
2. यहकि, योग्य अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय ने

५२२१८

२। पा

R2U32-II/15

28.12.15-

गोविंद के अलगाव
जाइंस सर्वेत्रों का पापेत उत्तर।
जो उत्तरांश के साथ- A Part के
संबंध में या गांगा की गोविंदका
की हो उत्तरांश उपरान्त को
उपरिक्षण नहीं। गोविंदका की
मुख्यालीकृति के कारण एक जन
कठबंधे फिर को बोली या या
वीर्हावार दाँड़ दौरा।